



2026:AHC:3581

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 19746 वर्ष 2025

शिव मंगल सिंह

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

भारत संघ और 4 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : ओम प्रकाश चौरसिया, सुधांशु चौरसिया

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : भारत के अपर सॉलिसिटर जनरल

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश चौरसिया और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीनाथ द्विवेदी (एओआर संख्या ए/एस 1195/2012) के तर्कों को सुना गया।
2. प्रारंभिक आपत्ति इस आधार पर उठाई गई है कि यह याचिका सेना के एक कर्मी की ओर से पेंशन जारी करने के लिए दायर की गई है, जिसके लिए याचिकाकर्ता को पहले सशस्त्र बल न्यायाधिकरण से संपर्क करना होगा, जिसके पास इस मामले पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।
4. रिट याचिका का निस्तारण कर दिया गया है और याचिकाकर्ता के लिए यह खुला है कि वह मामले पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र रखने वाले सशस्त्र बल न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकता है।

7 जनवरी, 2026

एन. एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।